



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

25 माघ 1934 (श0)  
(सं0 पटना 139) पटना, वृहस्पतिवार, 14 फरवरी 2013

---

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

अधिसूचना  
14 फरवरी 2013

सं0 10/नीति (शुल्क पुन0)—88/2012 (खंड)—1009—विभागीय संकल्प संख्या 2703, दिनांक 07.06.2007 के द्वारा प्रत्येक देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की खुदरा तथा कम्पोजिट शराब दुकानों में बिकने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब की खुदरा बिक्री के लिए अनुज्ञाशुल्क की दर 70 रू0 प्रति एल0पी0 लीटर निर्धारित है। मूल्य सूचकांक में वृद्धि के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित अनुज्ञाशुल्क की दर 70 रू0 प्रति एल0पी0एल0 के स्थान पर 90 रू0 प्रति एल0पी0एल0 निर्धारित किया जाता है। अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

यह बिहार राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
संदीप पौण्डरीक,  
सरकार के सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 139-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>